डीजी-परिपत्र संख्या-10/2018

ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलकमार्ग, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः मार्च 17, 2018

विषय : पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत है कि पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने से पुलिस की छवि जहाँ धूमिल होती है वहीं कानून एवं व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। "अभिरक्षा-मृत्यु" अति संवेदनशील एवं अमानवीय अपराध है, जिसका दायित्व प्रायः पुलिस पर स्थापित होता है। इस प्रकार की घटनायें विभाग के लिए चिन्ता का विषय है। इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम हेतु समय-समय पर पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत कर आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिनका समय-समयः पर अनुशीलन कर अपने अधीनस्थ अधिकारियो/कर्मचारियों को निर्देश दिया जाना अपरिहार्य है।

डीजी-परिपत्र-20/05 दिनांक 16.04.2005
डीजी-परिपत्र-01/06 दिनांक 04.01.2006
डीजी-परिपत्र-19/06 दिनांक 08.06.2006
डीजी-परिपत्र-37/08 दिनांक 07.08.2008
डीजी-परिपत्र-64/09 दिनांक 20.12.2009
डीजी-परिपत्र-15/10 दिनांक 25.04.2010
डीजी-परिपत्र-10/11 दिनांक 05.05.2011

आप सहमत होगें कि हिरासत में लिये गये व्यक्ति के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा अनावश्यक मारपीट की घटनायें जहाँ अमानवीयता का परिचायक हैं वहीं पुलिस की क्रूर प्रवृत्ति को भी उजागर करती है। पुलिस कर्मियों की इस प्रकार की घटनाओं को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाना चाहिए और ऐसे पुलिस कर्मियों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। साथ ही पुलिस हिरासत में लिये गये व्यक्ति की सुरक्षा का समुचित ध्यान रखा जाये। हवालात का निरीक्षण कर देख लिया जाये कि हवालात में ऐसी कोई भी वस्तु, साधन उपलब्ध नहीं है जो व्यक्ति को आत्महत्या करने में सहायक हो सके। पुलिस हिरासत में मृत्यु के प्रकरणों के रोकथाम हेतु आपके मार्गदर्शन एवं पालन हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जो निम्नांकित हैः-

- पंजीकृत अभियोग की सूचना 24घंटे के अन्दर मानवाधिकार आयोग को प्रेषित किया जाये।
- पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के सम्बन्ध में मृतक का पंचनामा मजिस्ट्रेट द्वारा भरा जाये तथा चिकित्सक द्वारा शव का परीक्षण कराते समय वीडियोग्राफी करायी जाये तथा वीडियो कैसेट को अवलोकन हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रेषित किया जाये।
- पुलिस अभिरक्षा मृत्यु के सम्बन्ध में द0प्र0सं0 की धारा 176 के प्राविधानों के अनुसार मजिस्टीरियल जॉच के आदेश निर्गत किये जाये तथा जॉचों के शीघ्र निस्तारण हेतु जनपद स्तर पर पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट से समन्वय बनाया जाये।
- पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के सम्बन्ध में पंजीकृत किये गये अभियोगों की विवेचना पूरी निष्पक्षता से स्वतन्त्र जॉच एजेन्सी से करायी जाये।
- थाना हवालात में कोई खिड़की/खूँटी नही होनी चाहिए।
- अभियुक्त के पास पहनने के अतिरिक्त अन्य कोई कपड़ा नही होना चाहिए।
- अभियुक्त को हवालात के अन्दर बन्द करते समय उसकी अच्छी तरह तलाशी ली जाये, ताकि उसके पास कोई नुकीली वस्तु ब्लेड, माचिस, नशीला पदार्थ, ड्रग्स आदि नहीं होना चाहिए।
- हवालात के अन्दर बिजली के तार न हो, विद्युत, पानी, सप्लाई के तार, पाइप, बन्दी के पहुँच से बाहर हो। पानी की टोटी नुकली न हो।
- थाना कार्यालय में नियुक्त पुलिस कर्मियों के बैठने की स्थिति इस प्रकार हो कि उनका मुँह हवालात की ओर हो ताकि अभियुक्त की प्रत्येक गतिविधियों का आभास रहे।

- थाना हवालात के अन्दर प्रकाश की हवालात के बाहर से इस प्रकार व्यवस्था की जाये कि हवालात के अन्दर विशेष कर रात्रि के समय हमेशा उजाला रहे।
- संतरी डियूटी पर पुलिस कर्मियों की डियूटी लगाते समय उनको थानाध्यक्ष/हेड मोहर्रिर द्वारा उनके कर्तव्यों के सम्बन्ध में भली-भाँति ब्रीफ कर दिया जाये।
- संतरी डियूटी पर नियुक्त पुलिसकर्मी को निर्देशित कर दिया जाये कि वह हवालात में बन्द अभियुक्त पर हर समय सतर्क दृष्टि बनाये रखे।
- शौचालय आदि के दरवाजे इस प्रकार हो कि जहाँ से किसी प्रकार भी लटकने की व्यवस्था न हो। दरवाजा आधा कटवा दिया जाये। शौचालय के दीवार की ऊँचाई 04फीट से अधिक की न हो जहाँ से खड़ा व्यक्ति दिखाई दे सके।
- प्रायः संतरी डियूटी परिवर्तन के समय ही संतरी हवालात में बन्दियों की चेंकिग करते रहे। हवालात के बाहर यह चेकिंग रजिस्टर रखा जाये जहाँ संतरी अपने विवेक से कम से कम समय में चेंक करें तथा चेकिंग का समय अंकित करते हुए कुशलता के सम्बन्ध में अपने हस्ताक्षर करें। दिवसाधिकारी/हेड मोहर्रिर इसे सुनिश्चित करायें।
- कार्यालय स्टाफ से एक कर्मचारी को केवल बन्दी निगरानी हेतु रखा जाये।
- घायल बन्दी का भली-भाँति उपचार व मेडिकल अवश्य कराया जाये।
- हवालात में होने वाले उपरोक्त कार्यों को क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में पूर्ण कराया जाये।

उपरोक्त बिन्दु आपके मार्गदर्शन एवं अनुपालनार्थ प्रेषित किये जा रहे हैं और इसके अतिरिक्त भी अनेक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके निराकरण हेतु आपके सक्रिय सहयोग एवं प्रयास की आवश्यकता होगी।

मैं अपेक्षा करता हूँ कि उपरोक्त बिन्दुओं को आप स्वयं निकटता से अध्ययन कर लें तथा जनपद में एक सेमीनार के माध्यम से जनपद मे नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करा दें तथा इस सम्बन्ध में सतर्क कर दें कि वह अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता अथवा शिथिलता न बरते तथा उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

17.3.18

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,

<u>प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।</u>

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून/व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।